Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेश चन्द, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली हाल चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी शहर, तहत पुलिस थाना नादौती, जिला करौली को परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्व पुलिस थाना नादौती, जिला करौली में दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में सुरेश चन्द, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली हाल चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी शहर, तहत पुलिस थाना नादौती, जिला करौली द्वारा 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर 5 हजार रूपये देने के लिये परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमर सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेश चन्द पुत्र श्री रामखिलाडी, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम महस्वा, पुलिस थाना श्रीमहावीरजी, जिला करौली हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली हाल चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी शहर, तहत पुलिस थाना नादौती, जिला करौली को परिवादी से **5 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।